स्मार्ट चिप अपलोड हेतु

कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक 9503/स्था /टीसी/2013 ग्वालियर दिनांक 13.12.2013

प्रति,

01 क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी
समस्त...(म.प्र.)

02 संभागीय उप परिवहन आयुक्त कार्यालय,
समस्त...(म.प्र.)

03 परिवहन आयुक्त कैंप कार्यालय
ई 7–446 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

विषयः– सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से लिपिक वर्गीय सेवा से परिवहन उप निरीक्षक के पद पर चयन द्वारा सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 ।

....

परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय की लिपिक वर्गीय सेवा में से परिवहन उप निरीक्षक के पदों को चयन द्वारा भरने के लिये म.प्र. शासन परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 1–11–2011–आठ भोपाल दिनांक 10 दिसम्बर 2013 द्वारा अनुसूची–पांच में अधिकथित स्कीम प्रकाशित की गई है। इन नियमों के क्रम में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 27.12.2013 को आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा हेतु सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के आवेदन आमन्त्रित किये जाते है। (आवेदन प्रारूप संलग्न है।) इस परीक्षा हेतु उक्त अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित अर्हताऐं निर्धारित की गई है :–

01– "अनुसूची–पांच" (नियम 15–क) कंडिका 2 (एक) के अनुसार :–जो परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में किसी लिपिक वर्गीय पद पर कम से कम पांच वर्ष से स्थाई अथवा स्थानापन्न हेसियत से कार्यरत है अर्थात दिनांक 01.01.2013 को पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हो,

02– 2 (दो) के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

03– 2 (तीन) के अनुसार उसकी आयु, उस वर्ष की, जिसमें कि चयन किया जाना है, पहली जनवरी को 45 वर्ष से अधिक ना हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, यह आयु की गणना दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में की जावेगी,

04– 2 (चार) जो निम्नलिखित शारीरिक प्रमाप रखता हो, अर्थात :–

(क) सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिये ऊंचाई 1.68 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीने का माप बिना फुलाए 81.00 से.मी. तथा फुलाकर 86.00 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये ऊंचाई 1.60 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीने का माप बिना फुलाए 76.00 से.मी. तथा फुलाकर 81.00 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए.

सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारो के लिये ऊंचाई 1.58 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, (सीने का माप महिलाओं के लिये लागू नहीं होगा)

(ख) सामान्य, दृष्टि, (चश्मे या चश्मे के बिना) होना चाहिए तथा उसे वर्णान्ध (कलर ब्लाइंड) नहीं होना चाहिए. उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए.

कंडिका–4(पांच) के अनुसार केवल वे ही कर्मचारी, जो उपरोक्तानुसार अधिकथित अर्हताऐं पूर्ण करते है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिये पात्र होगे, तथा ऐसे अभ्यार्थियों को ही परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा । शारीरिक योग्यता हेतु उस जिले के सिविल सर्जन का, जहां पर कर्मचारी कार्य कर रहा हो, कर्मचारी की शारीरिक योग्यता तथा ऊंचाई तथा छाती एवं दृष्टि के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उसकी पात्रता का निश्चियक सबूत होगा,

नोट :– उक्त परीक्षा हेतु महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेगे। महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की टीप तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–2/97/3/1, दिनांक 18.02.1997 के अनुसार यदि आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में उपयुक्त महिला अभ्यार्थी के अभाव में चयन न होने से रिक्त रहे जाते है तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेगे ।

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची–दो के अनुसार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 20 प्रतिशत (गैर तकनीकी) के भरे जाने के प्रावधान है। जिसके अनुसार परिवहन उप निरीक्षक के लगभग 20 पद रिक्त है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

प्रवर्ग	पुरूष उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार	कुल संख्या
सामान्य	07	03	10
अनुसूचित जाति	02	01	03
अनुसूचित जनजाति	03	01	04
पिछडा वर्ग	02	01	03
कुल योग	14	06	20

नोट :– उक्त रिक्तियां प्रारंभिक तौर पर प्रावधिक रूप से प्रकाशित की गई है। इन रिक्तियों में परिवर्तन होना संभावित है।

उक्त परीक्षा हेतु नियमानुसार 02 प्रश्न पत्र जो 50–50 अंकों के होगे, निर्धारित है, परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगे । उपरोक्तानुसार उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के 05 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा । प्रत्येक प्रश्न पत्र की विषय सूची/पाठयक्रम निम्नानुसार है :–

उपाबंध एक
प्रश्न–पत्रों का पाठ्यकम
प्रश्न–पत्र–एक (कुल अंक 50)

(एक) सामान्य ज्ञान (10 अंक) :
सामयिक घटनाओं से संबंधित सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न , भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा उससे संबंधित विषय, मध्यप्रदेश के संबंध में सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न .

(दो) सामान्य हिन्दी (10 अंक)
10–12 पंक्तियों की संक्षेपिका पर आधारित संक्षिप्त प्रश्न, समान शब्दों के बीच अन्तर, किसी भी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध (विचारों की अभिव्यक्ति)

(तीन) प्रारंभिक अंक गणित (20 अंक)
गुणा भाग दशमलव भिन्न, प्रतिशतता, लाभ और हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाण, अनुपात.

(चार) कम्प्यूटर पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान (10 अंक)
माइक्रोसाफ्ट वर्ड, पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन, एक्सेल, इंटरनेट व ई–मेल ।

प्रश्न – पत्र दो (कुल अंक 50)

(एक) शासकीय सेवा से संबंधित नियमों का ज्ञान (20 अंक)
वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि स्कीम से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान, सेवा में भरती से संबंधित नियमों का सामान्य ज्ञान सरकारी सेवकों के आचरण से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान.

(दो) परिवहन पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान (10 अंक)
विभाग में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न परिवहन पारिभाषित शब्दावली का ज्ञान, जिसका कोई विशेष अर्थ होता है।

(तीन) विभागों से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का ज्ञान (20 अंक) :
(क) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) तथा उसके अधीन बनाये गये विभिन्न नियम ;
(ख) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 ;
(ग) मध्यप्रदेश मोटरयान, कराधान अधिनियम,1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) ;
(घ) मध्यप्रदेश मोटरयान, कराधान नियम,1991 ;
(ड.) मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994,